फाइल सं. के.140111/7/2013-यूपीए/एफटीएस-9789
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(यूपीए प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : शासी परिषद की दिनांक 24 जून 2015 को हुई प्रथम बैठक में ईएसटीएंडपी, एसएमएंडआईडी, सीबीएंडटी और एसयूएच में एनयूएलएम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में सुधार।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और कहने का निदेश हुआ है कि एनयूएलएम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों की विभिन्न खंडो के निम्न पैराग्राफों में दिनांक 24 जून, 2015 को हुई बैठक में शासी परिषद (जीसी) के अनुमोदन से नीचे दर्शाये गए अनुसार संशोधन किए गए हैं।

I. एनयूएलएम के अंतर्गत सामाजिक जुटाव एवं संस्था विकास के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

सामाजिक जुटाव एवं संस्था विकास (एसएम एवं आईडी) के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश दिनांक 11 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए गए थे। मौजूदा प्रावधानों में जोड़ने/परिवर्तन करने हेतु संशोधित प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	खंड 15 : प्रत्येक एसएचजी के गठन, हैंडहोल्डिंग, सभी सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, परिसंघ के गठन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु इस पर अधिकतम 10,000 रूपये खर्च किए जा सकते हैं।	प्रत्येक एसएचजी के गठन, हैंडहोल्डिंग, सभी सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, परिसंघ के गठन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु इस पर 10,000 रूपये की राशि खर्च की जा सकती हैं।
2.	खंड 17.3 : एनयूएलएम शहरों से पारदर्शी ढंग से आरओ के चयन हेतु एसयूएलएम उत्तरदायी होगा। एसयूएलएम आरओ को राज्य स्तर पर नियुक्त के लिए स्वतंत्र है और यूएलबी को स्वयं आरओ को सूचीबद्ध करने की अनुमति है।	**17.3 क – नए खंड का परिवर्धन :** आरओ जो पहले से ही एनआरएलएम, नाबार्ड अथवा अन्य किसी सरकारी संस्थानों में पहले से ही सूचीबद्ध है तथा जिनका कार्य निष्पादन का ट्रैक रिकार्ड अच्छा है, को सीधे आरओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
3.	खंड 17.6 : राज्य चयन (तकनीकी पैरामीटर) के लिए कठोर मानदंडों के आधार पर एक खुली प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन संगठनों को सूचीबद्ध कर सकते हैं ताकि सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।	हटा दिया।

4.	खंड 42 : सीएलसी के लिए जारी केन्द्रीय हिस्सा भौतिक अवसंरचना निर्माण और नवीकरण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए ।	सीएलसी के लिए जारी केन्द्रीय हिस्सा भौतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । यद्यपि, मौजूदा अवसंरचना के नवीकरण के लिए निधियों का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि यह सीएलसी की अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक निधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

II. एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (ईएसटीआरपी) के माध्यम से रोजगार के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (ईएसटीआरपी) के माध्यम से रोजगार के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश दिनांक 13 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए गए । मौजूदा प्रावधान में संशोधित प्रावधान जुड़ना/प्रतिस्थापन निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	**खंड 5 : कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एसटीपी)** 5.1 <u>पहचान</u> एसयूएलएम एक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से निजी एसटीपी नियुक्त कर सकता है । चयन मानदंड में तकनीकी योग्यता, संस्थान का अनुभव एवं प्रशिक्षण लागत का समायोजन आवश्यक है । प्रशिक्षण की गुणवत्ता में समझौता न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एसयूएलएम द्वारा एसटीपी का सख्त तकनीकी निर्धारण किया जाना चाहिए ।	**खंड 5 : कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एसटीपी)** 5.1 <u>पहचान</u> एसयूएलएम एक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से निजी एसटीपी नियुक्त कर सकता है । चयन मानदंड में तकनीकी योग्यता, संस्थान का अनुभव, प्रशिक्षण लागत और अन्य कोई परिवर्तियों जो राज्य चयन करना चाहे का समायोजन आवश्यक है । प्रशिक्षण की गुणवत्ता में समझौता न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एसयूएलएम द्वारा एसटीपी का सख्त तकनीकी निर्धारण किया जाना चाहिए ।
2.	**खंड 5.1 का पैरा 2** एसयूएलएम मोबिलाईजेशन प्रशिक्षण, प्रमाणन, बैंक लिंकेज, अनिवार्य नियुक्ति/स्व रोजगार और सफल अभ्यार्थी के ट्रैकिंग के लिए कार्य-रीति की विस्तृत ब्यौरे के साथ सरकारी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पौलिटेक्निक, तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ सीधे समझौता कर सकता है ।	**खंड 5.1 का पैरा 2 में परिवर्धन** एसयूएलएम कौशल प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए अन्य कोई सरकारी एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के प्रशिक्षण भागीदारों से सीधे नियुक्त कर सकता है। यद्यपि, एसयूएलएम को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नियुक्त प्रशिक्षण प्रदायकों को एनयूएलएम के दिशानिर्देशों में उल्लखित विधियों, डेलिवरेबल्स एवं लागत मानदंडों का पालन करना होगा ।
3.	**खंड 5.1 का पैरा 3** एसयूएलएम भारत सरकार एवं राज्य सरकार	**नए खंड – 5.1 क का परिवर्धन** मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के लिए

	कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित कौशल प्रशिक्षण परियोजना के अन्य कोई सफल मॉडल को भी अपना सकता है। एसयूएलएम औद्योगिक आवासों/औद्योगिक संघ के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा सकता है जो प्रशिक्षित लाभार्थियों को आंतरिक नियोजन उपलब्ध कराएगा।	राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों जो कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी), सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी), भारत सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत स्वायत्त निकाय,औद्योगिक समूह के साथ समझौत ज्ञापन कर सकता है। हूपा मंत्रालय एवं एजेंसियों के बीच में इस समझौता ज्ञापन के आधार पर, राज्य उनको उनके संबंधित राज्यों में कौशल विकास का कार्य प्रदान कर सकते हैं।

III. एनयूएलएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएवंटी) के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

एनयूएलएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएवंटी) के लिए दिनांक 18 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किया गया।

क्र.सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन एवं कार्यान्वयन	**नया खंड निम्नानुसार जोड़ा गया है :** **3.3 क राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मिशन के कार्यान्वयन में सुदृढ़ता,निगरानी,मूल्यांकन सोशल ऑडिट एवं क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए संस्थानों/एजेंसियों/विशेषज्ञों जैसे एनआईआरडी/एनएबीसीओएनएस/ एचएसएमआई इत्यादि को विकसित किया जा सकता है।**
2.	**अनुलग्नक-II** बड़े राज्यों की सूची में 18 राज्य शामिल हैं।	**बड़े राज्यों की सूची में तेलगांना को 19 नम्बर पर जोड़ा जा सकता है।**

IV. एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी बेघरों (एसयूएच) के लिए आश्रय की स्कीम के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश।

एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी बेघरों (एसयूएच) के लिए आश्रय स्कीम के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश दिनांक 13 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	खंड 3.1 : स्थानीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक आश्रय में 50 से 100 व्यक्ति रह सकते हैं।	स्थानीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक आश्रय में अधिमानत: 50 या उससे अधिक व्यक्तियों को रहना चाहिए। अपवाद की स्थिति में, कम क्षमता

		वाले शेल्टर को भी अनुमोदित किया जा सकता हैं।
2.	खंड 11.6 : केन्द्र सरकार प्रचालन के प्रथम 5 वर्षों की समयावधि के लिए प्रत्येक आश्रय के लिए, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत का जैसा ही मामला हो, 75% अथवा 90% भी उपलब्ध कराएगा। 50 शहरी बेघरों के एक आश्रय के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 6,00,000 रूपये प्रति वर्ष का प्रावधान है।	केन्द्र सरकार प्रचालन के प्रथम 5 वर्षों की समायावधि के लिए प्रत्येक आश्रय के लिए, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत का जैसा ही मामला हो, 75% अथवा 90% भी उपलब्ध कराएगा। उपयुक्त प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित होगी।

2. इसे आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अर्चना मित्तल)
निदेशक (यूपीए)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

सेवा में,
(सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश)